28.11.19

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रश्नकारक उपस्थित। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया। तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली के उपलब्ध आधार अभिलेख नकल निर्णय माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश-कक्ष-4 कोटा द्वारा दिवानी वाद सं. 90/11 में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार विवादित आवासीय के आलोकित व पंजीकृत विक्रय विलेख दि. 10.12.2007 को अवैध व अनाधिकृत मानते हुये शून्य प्रभावी घोषित कर इतकाल को भी शून्य घोषित कर दिया है। अतः माननीय न्यायालय को उक्त निर्णय को घोषणा के प्रस्तुत अपील कार्यवाही निष्फल हो जाने के इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के किसी प्रकार के आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी कार्यवाही निष्फल हो जाने के इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तामील समयावधि दावा दरख्वास्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

लि० स० बाबू
जोधपुर